


166



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

रिवीजन प्रकरण क्रमांक

/2011-2012

आवेदकगण

:1. राहुल कुमार जैन आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार जैन
निवासी-ग्राम गढ़ा, तह. व जिला जबलपुर

श्री अ.पी. पांडे श्री
द्वारा राजदि. 28-3-12
जो जबलपुर के मापर
प्रस्तुत किया

डॉ. संतोष कुमार जैन पिता मन् लाल जैन,
निवासी-कमानिया गेट के पास, पनागर,
तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)

विरुद्ध

अनावेदिका

:1. श्रीमति रामरती बाई पति राजाराम महोबिया,
निवासी-ग्राम कसही थाना पनागर, तहसील व
जिला - जबलपुर (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन द्वारा-कलेक्टर, जबलपुर (म.प्र.)

रिवीजन म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत

आवेदकगण अपर कलेक्टर महोदय जबलपुर के राजस्व प्रकरण
क्रमांक 41-बी/121/2011-2012 में पारित आदेश दिनांक 08/02/2012
पक्षकार श्रीमति रामरती बाई विरुद्ध राहुल कुमार जैन एवं 1 अन्य, से
परिवेदित होकर यह रिवीजन प्रकरण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों
पर प्रस्तुत करते हैं :-

//तथ्य//

1. यह कि, ग्राम कसही पटवारी हल्का नंबर 15 तहसील व जिला
जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 398, रकबा 1.413
हेक्टेयर भूमि की स्वामी एवं अधिपत्यधारी श्रीमति रामरती बाई
पति राजाराम महोबिया श्री जिसका नाम शासकीय अभिलेखों
में भूमि स्वामी हक में दर्ज चला आ रहा था।
2. यह कि, श्रीमति रामरती बाई ने उपरोक्त भूमि में से रकबा 0.
405 हेक्टेयर भूमि रजिस्ट्रीशुदा बैनामा दिनांक 25/11/1991 को
राहुल कुमार नाबलिंग पिता राजेन्द्र कुमार जैन के पक्ष में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-977-एक/12

जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u></p>	